

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर

क्रमांक शिविरा गा./पीएसपी सी/भ 2/60567 /के गा. शि. बो/2023 24/.../50-51

दिनांक: 31/03/23

TO

विद्यालय का नाम :- Central Children Academy (P29169)

From

विद्यालय का वर्तमान पता :- Jakar Farm House, Indali Road,  
Khatehpura, Jhunjhunwala

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, वीकानेर

संस्था का नाम :- Central Children Academy Society

आवेदन क्रमांक :-43831

एनओसी कोड:- RJJN32745

Sir/Madam,

विषय:- राज 2023-24 के लिए सी नी एस सी ई/सी आई एस सी ई/सी आई नई डिल्टी से संबद्धता प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी विद्यालय Central Children Academy (P29169) Jakar Farm House, Indali Road, Khatehpura, Jhunjhunwala को अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:- राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं नियम 2011 तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 के अधीन उप पर्याप्त कार्यालय द्वारा पंजीकृत संस्था Central Children Academy Society को अनापति राजस्थान गैर सरकारी विद्यालय Central Children Academy (P29169) को शैक्षिक सत्र 2023-24 से प्रदत्त कक्ष 01 से 08 तक वी मास्ता के संदर्भ में।

### विद्यालय का विवरण -

विद्यालय का नाम -	Central Children Academy (P29169)
सर्वे संख्या /प्लॉट संख्या / खसरा संख्या / पता -	Jakar Farm House, Indali Road, Khatehpura, Jhunjhunwala
गांव/शहर -	KULOD KALAN
तहसील/कस्बा -	JHUNJHUNU
मान्यता कोड -	RJJN32745
विद्यालय का पीएसपी कोड	P29169

नोट: NIC विभिन्न रूपों / ढीईओ (गा.शि.) / निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए जिसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है। डाटा में किसी भी प्रकार की विवादित को लिए रुकूम / ढीईओ(गा.शि.) / निदेशालय जिम्मेदार होते हैं।

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर

### प्रमाण-पत्र

रव 2023-24 ऐसु CBSE/CISCE/CAIE नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को पत्रांक : प.14(8)शिक्षा-1/2009/पार्ट-8  
दिनांक 30.03.2022 की पालना में गैर सरकारी विद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख सबृ.माध्यम, कक्षा स्तर, सकाय, विषय आदि के लिए CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता  
प्राप्ति हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. उक्त अनापति प्रमाण पत्र के वर्ष 2023-24 के लिए ही मान्य होगा।
2. विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी पैठाइक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा संशोधित नियम-2011 की पालना वीजाएगी।
3. विद्यालय/ संस्था द्वारा राज्य/राज्यीय संस्थाएँ द्वारा भागीदारी निभाई जाएगी।
4. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बालबचानी के क्रम में जारी किए गए दिशा निर्देशों की अधरक्ष पालना की जाएगी।
5. विद्यालय/संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों / नियमों की अधरक्ष पालना वीजाएगी। इसमें तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को नियुक्त प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा एवं आरटीई प्रवेशित से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना सुनिविधि करना होगा।
6. विद्यालय द्वारा (डे स्कॉलर/वीडिंग) कक्षा 1 से ही कक्षाओं का सचालन मान्यता प्रदान होता तक किया जाना होगा।
7. विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर रो मान्यता प्राप्त होता है तो CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता गिलने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को सुनिविधि करना होगा। साथ ही विद्यालय की राजस्थान बोर्ड रो संबद्धता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
8. विद्यालय में अधिशेषन पत्र स्वाप्ति किया जाना एवं इसके सचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ नियुक्त किया जाना होगा।
9. विद्यालय/संस्था परिसर में मोबाइल टावर स्वाप्ति नहीं करेगी।
10. राजस्थान विद्यालय (पीस का विनियमन) अधिनियम - 2016 नियम 2017 में वर्धित शर्तों की पालना वीजानी होगी।
11. राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समय-समय पर विभाग एवं शासन द्वारा विभिन्न रिकॉर्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
12. विद्यालय में दिनांक जनरों के लिए रेम्प एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायाजी जाएंगी।
13. भारत सरकार/राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जानी होगी।
14. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विद्यालय भड़का का अधिग्रहण/उपयोग राजकीय कार्य के लिए किया जा सकेगा।
15. विद्यालय द्वारा मान्यता/क्रमोत्पत्ति प्राप्त कक्षा स्तर तक ही अनापति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं किए जाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शिक्षा अधिनियम-1989 एवं नियम 1993 एवं संशोधित नियम 2011 के तहत विद्यालयों के विस्तृद कार्यालयी करते हुए विद्यालयों को जारी अनापति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

जिला	JHUNJHUNUN	ब्लॉक	JHUNJHUNU
विद्यालय का नाम	Central Children Academy (P29169)		
संबंधित ( CBSE/CISCE/CAIE )	CBSE		
एन.ओ.सी. प्रमाण जारी करने का सत्र	2023-24	माध्यम	English
विद्यालय मान्यता प्राप्त स्तर	Sr. Secondary (1-12)	एन.ओ.सी. हेतु कक्षा स्तर	Sr. Secondary (1-12)

नोट:- उक्त अनापति प्रमाण पत्र का उपयोग विद्यालय को विभाग द्वारा जारी मान्यता कक्षा स्तर/ सकाय/विषय/माध्यम के संबंध में ही उपयोग किये जाने हेतु संबद्धता की एन.ओ.सी. प्रदान की जाती है।

The Section and its record shall be opened for inspection by an Officer/Official of the Board or an authorized representative of Board/State educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the Board/State Government from time to time.

The school Management shall be having full responsibility if any court case arise in this regard. The details furnished if any by the management found to be false or incorrect at any stage, this No Objection Certificate is liable to be cancelled.



निदेशक  
आई.ए.एस  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
वीकानेर

नोट :- NIC विभिन्न स्तरों/ डीईओ (ग्रामीण) / निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्तीकार करता है। डाटा में किसी भी प्रकार की विरोगति को लिए स्वतूल / डीईओ(ग्रामीण) / निदेशालय डिपोटार होगे।